

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
—:: आदेश ::—

सं० सं०-17/विविध- 01-213/2025

पटना, दिनांक :- / / 2026

डॉ० श्वेता शालिनी, ट्यूटर (टेन्योर), पी०एस०एम० विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को स्वास्थ्य विभागीय आदेश सख्या-1133(17), दिनांक-29.11.2022 की कंडिका-07 के शर्ताधीन दिनांक-16.09.2025 से 14.03.2026 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों का प्रथम संतान हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

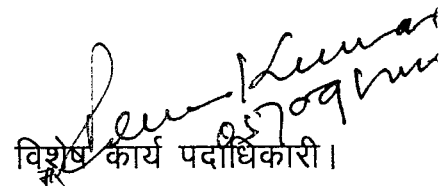
ज्ञापांक :-17/विविध- 01-213/2025 -1128(17) पटना, दिनांक :-07/09/2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डॉ० श्वेता शालिनी, ट्यूटर (टेन्योर), पी०एस०एम० विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।